

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

मु.नं. 61/2023 अपराध स्वयंसेवक

उनवान - आनन्दा बनाम मीरज मीना उपखण्ड अधिकारी व अन्य

बोर्डिंग

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

२२-२-२५

अधिकारिता प्राप्ति उपास्वित। अधिकारिता प्राप्ति डाय निवेदन किया गया कि प्रमुख में तत्कालीन पीठाधीन अधिकारी श्री मीरज मीना उपखण्ड अधिकारी बोडीगुई का स्वयंसेवक हो जाते हैं, इसलिये विचारणीय प्राप्ति पर स्वयंसेवक को आगे चलाने का कौन्सिल नहीं है।

प्राप्ति का कल्लोम किया (कं अधिकारिता प्राप्ति में रुकन पर अनन किया गया) विचारणीय प्राप्ति पर स्वयंसेवक श्री मीरज मीना तत्कालीन पीठाधीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बोडीगुई के विरुद्ध पेश किया गया है, जिनका स्वयंसेवक हो जाते हैं प्राप्ति पर स्वयंसेवक शास्त्रीन होकर इसी स्तर पर खारिज किए जाने योग्य है।

अतः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बोडीगुई में विचारणीय मु.नं. 11/2023 उनवानी जयशाम बनाम आनन्दा गौरा वाद वाबत दुसरी एवं स्पार्ट निषेधाज्ञा का अन्य सकार न्यायालय में स्वयंसेवक करने हेतु प्राप्ति आनन्दा पुत्र रामसहाय सुपर निवासी गादरवाडा गुजरान तहसील बोडीगुई जिला दौसा द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत प्राप्ति पर स्वयंसेवक खारिज किया जाता है। प्रमुख की प्रति उपखण्ड अधिकारी बोडीगुई को भिजवाई जावे। प्राप्ति के सल मु.नं. 71/2023 नंबर से भिजे है एवं बाद प्राप्ति प्रमुख उच्च गठार की जाके निवेदन आज दिनांक २२-२-२०२५ को भेरे इस हुक्म न्यायालय में सुनाया गया।

नरेश बुनकर

नरेश बुनकर अति. जिला कलक्टर दौसा (राज.)



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

